



2026:AHC-LKO:39850

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - ए संख्या - 4616 सन् 2026

श्रीमती शांति देवी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, लखनऊ एवं
5 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : गौस बेग
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अखिलेश प्रताप सिंह, रत्नेश
चन्द्रा

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति सैयद क्रमर हसन रिज़वी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौस बेग, राज्य- प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री बद्रीश कुमार त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम/प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से श्री रत्नेश चन्द्रा, विद्वान अधिवक्ता, का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता श्री ताहा आरिफ, प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश प्रताप सिंह को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ (प्रतिवादी संख्या 4) को निर्देशित किए जाने की प्रार्थना की है कि वे क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मेरठ (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा दिनांक 09.03.2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को किए गए संस्तुति के अनुसरण में निर्णय लें, जो रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मेरठ (प्रतिवादी संख्या 5) ने दिनांक 09.03.2026 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता के पति स्वर्गीय चमन लाल की पेंशन के बकाया से नियोक्ता के अंश की ईपीएफ अंशदान राशि के समायोजन हेतु स्पष्ट संस्तुति की थी, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त (प्रतिवादी संख्या 6) से नियोक्ता के अंश की ईपीएफ अंशदान की वास्तविक राशि निर्धारित किए जाने के पश्चात समायोजन किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मेरठ (प्रतिवादी संख्या 4) ने दिनांक 09.03.2026 की उक्त संस्तुति पर कोई ध्यान नहीं दिया है और याचिकाकर्ता का मामला अभी भी उचित कार्रवाई हेतु प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ (प्रतिवादी संख्या 4) के स्तर पर लंबित है। संदर्भ हेतु, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मेरठ (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा की गई उपर्युक्त दिनांक 09.03.2026 की संस्तुति की प्रति नीचे उद्धृत की जा रही है:-

"कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक,

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,

मेरठ क्षेत्र।

पत्रांक ५००/एमआर/लेखा/पेंशन/विविध-कोर्टकेस/2020

सेवा में,

दिनांक 09-02-26

प्रधान प्रबन्धक (कार्मिक)

परिवहन निगम मुख्यालय

लखनऊ।

विषय- रिट याचिका सं०-९-12917/2024 श्रीमती शान्ति देवी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व 03 अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि श्रीमती शान्ति देवी द्वारा रिट याचिका सं0-912917/2024 योजित की गयी है, जिसमें मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.02.2025 के अनुपालन में परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0-1584 सीईएनटी / 25-125 प्रत्यावेदन / कोर्टकेस / 2024. दिनांक 30.05.2025 के द्वारा प्रत्यावेदन स्वीकृत करते हुए उनके पति स्व० श्री चमन लाल को राजकीय पेंशन का पात्र माना गया है। साथ ही उक्त परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ परिपत्र संख्या 1843 दिनांक 14.11.2013 में यह व्यवस्था की गयी है कि ई०पी०एफ० कार्यालय से पेंशन बन्द कराते हुये सम्पूर्ण पेंशनरी अंशदान की धनराशि जमा कराते हुये सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये तदनुसार अनुमन्य पारिवारिक पेंशन स्वीकृत संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

महोदय उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि श्रीमती शान्ति देवी द्वारा ई०पी०एफ० कार्यालय में माह जुलाई 2025 से पेंशन बन्द करा दी गयी है तथा पेंशनरी अंशदान की धनराशि जमा न करने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जो कि महोदय को सम्बोधित है। जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिस कारण पेंशनरी अंशदान की धनराशि जमा करने में असमर्थ है। अन्त में उनके द्वारा पेंशनरी अंशदान की धनराशि को अपने देयकों से समायोजन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व० श्री चमन लाल द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2026 इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि प्रश्नगत विषय में निर्णय परिवहन निगम मुख्यालय से लिया जाना है।

कृपया अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश देना चाहें।

संलग्न: प्रार्थना पत्र मूल रूप में मय संलग्नक।

सादर सहित।

भवदीय,

क्षेत्रीय प्रबन्धक मेरठ।

प्रतिलिपि:-

श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व० श्री चमन लाल, 342 सोतीगंज, मेरठ।

4. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता एक गरीब महिला है और नियोक्ता के अंश के ईपीएफ अंशदान को जमा करने की स्थिति में नहीं है, अतः क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मेरठ (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार समायोजन पर विचार किया जाना उचित है और उसी पर उचित आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ (प्रतिवादी संख्या 4) को दिनांक 09.03.2026 को क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मेरठ (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा की गई संस्तुति के आलोक में याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु निर्देशित किए जाने की भी प्रार्थना की है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौस बेग ने इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम मिर्जा अथर बेग एवं अन्य** के मामले में पारित आदेश, जो **2013(31) एलसीडी 1702** में प्रकाशित है, को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति को 19 वर्ष बीत चुके हैं और प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना कि पहले से प्राप्त ईपीएफ की राशि को पेंशन के बकाये के विरुद्ध समायोजित किया जाए, हम निर्देश देते हैं कि पेंशन नियमों के अनुसार इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम दो माह की अवधि के भीतर निर्धारित की जाए और वर्तमान माह से नियमित रूप से उसका भुगतान किया जाए। पेंशन के बकाये का भुगतान उसके निर्धारण के बाद अधिकतम एक माह की अवधि के भीतर किया जाए, जिसमें प्रतिवादी द्वारा पहले से प्राप्त ईपीएफ (नियोक्ता का अंशदान) की राशि को समायोजित किया जाए। प्रतिवादी के लिए यह भी खुला रहेगा कि वह पहले से प्राप्त ईपीएफ (नियोक्ता का अंशदान) की राशि जमा कर दे और यदि ऐसी जमा राशि कर दी जाती है, तो उक्त राशि की कटौती करने का कोई अवसर नहीं होगा।

इस निर्देश का अनुपालन सभी संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पेंशन का भुगतान किया जाना है।

प्रतिवादी की इस आशंका के संबंध में कि निगम ईपीएफ में नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज लगाएगा, इतना कहना पर्याप्त होगा कि ऐसी स्थिति में प्रतिवादी विलंबित पेंशन भुगतान पर ब्याज पाने का भी हकदार होगा।

अतः, हम निर्देश देते हैं कि ईपीएफ की राशि पर कोई ब्याज न लगाया जाए, क्योंकि प्रतिवादी का यह भी कहना है कि वह पेंशन की राशि पर किसी ब्याज का दावा नहीं करेगा।"

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई निर्दोष प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता, इस आदेश की एक प्रति संलग्न करते हुए, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ (प्रतिवादी संख्या

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4) के समक्ष एक नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकती है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* उसकी सभी शिकायतों एवं दलीलों को उठाया जाएगा, जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, क्षेत्रीय प्रबंधक, मेरठ (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा दिनांक 09.03.2026 को दिए गए पत्र में की गई संस्तुति तथा इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य (उपरोक्त) के एक समान मामले में की गई टिप्पणियों के आलोक में, ऐसे प्रत्यावेदन के प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विचार किया जाएगा, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

जून 2, 2026

अरुण

[न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।